

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)

दिनांक:- 24.06.2019

प्रकरण संख्या:- 132/2019

1. चतरुलाल पिता काना जाति डांगी आयु वयस्क निवासी सांगरिया तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०।
2. नंदलाल पिता काना जाति डांगी आयु वयस्क निवासी सांगरिया तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०।
3. रतनलाल पिता मगना जाति डांगी आयु वयस्क निवासी सांगरिया तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०।
4. प्रभुलाल पिता मगना जाति डांगी आयु वयस्क निवासी सांगरिया तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०।
5. डालु पिता उंकारलाल जाति डांगी आयु वयस्क निवासी सांगरिया तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०।

//बनाम//

1. सुमतलाल पिता रोशनलाल जाति जैन आयु वयस्क निवासी बिनौता तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०।
2. बद्रीलाल पिता खेमराजी जाति डांगी आयु वयस्क निवासी बिनौता तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०।
3. कनीराम पिता नारायण जाति गायरी आयु वयस्क निवासी बिनौता तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०।
4. शंकरलाल पिता नंदा जाति धाकड़ आयु वयस्क निवासी भगवानपुरा तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०।
5. मदनलाल पिता प्यारा जाति धाकड़ आयु वयस्क निवासी बिनौता तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०।
6. तुलसीराम पिता जगन्नाथ जाति जाट आयु वयस्क निवासी उंठेल तह० बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़ राज०।
7. शोकितन जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी बिनौता तह० निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज०।

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा०ले०रे०एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई । प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा बिनौता प०ह० बिनौता तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 150 की आराजी न० 1750 रकबा 2.5300 हैक्टेयर, खाता संख्या 149 की आराजी न० 1749 रकबा 2.9000 हैक्टेयर, एवं खाता संख्या 271 की आराजी न० 1784 रकबा 1.1400 हैक्टेयर, भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षीगण प्रार्थीगण की भूमि के



५०१
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (राज.)

हस्ता है। प्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि के खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 2500/- रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं हाने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थीगण की खातेदारी कि वाके मौजा बिनौता प0ह0 बिनौता तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 150 की आराजी न0 1750 रकबा 2.5300 हैक्टेयर, खाता संख्या 149 की आराजी न0 1749 रकबा 2.9000 हैक्टेयर, एवं खाता संख्या 271 की आराजी न0 1784 रकबा 1.1400 हैक्टेयर, भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढी करें। पत्थरगढी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करे।

आज दिनांक 24.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



पंकज
(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (पंज.)

